<u>व्यवहार वाद क्रमांक– 39 अ /2022</u>
<u>जनक राम वि० सौरभ दानीकर वगैरह</u>

टीप– आज दिनांक–19.03.2026, दिन– गुरुवार जनक राव पिता सेवा राव को पुनः साक्षी को शपथ दिलाकर उसका प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(समयः–01.00 बजे से 02.00 बजे तक)

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री श्रध्देश गुप्ता अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी क्रमांक–04</u>

14. यह कहना सही है कि न्यायालय में प्रस्तुत आदेश 18 नियम 04 व्य०प्र०सं० का शपथ पत्र मेरे अधिवक्ता के द्वारा बनाकर मुझसे हस्ताक्षर करवाकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को अधिवक्ता द्वारा रिकार्ड को देखकर बनाया गया है । साक्षी स्वतः कहा कि मुझे मेरे द्वारा बताये अनुसार शपथ पत्र बनाया गया है ।

15. मैंने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र का वाद भूमि खसरा क्र० 3765, 3766 लेख है दावा उल्लेख किया हूँ । वादभूमि वर्तमान में मेरे दादा एवं पिता के नाम पर दर्ज है । मेरे दादा के एक मात्र पुत्र मेरे पिताजी थे, साक्षी स्वतः कहता है कि मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूँ । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे दादा जी की मृत्यु कब हुई थी । मेरे पिताजी की मृत्यु सन् 1973–74 में हुई थी ।

16. यह कहना सही है कि मेरे दादा और मेरे पिताजी का स्वर्गवास के पश्चात वादभूमि का फौती नामांतरण नहीं करा पाये है। यह कहना सही है कि मेरे पिताजी के मृत्यु के पश्चात वादभूमि का फौती नामांतरण मेरे द्वारा नहीं कराया गया है । मैं बिलासपुर का स्थायी निवासी हूँ । मैं विगत 20 वर्षों से बिलासपुर में अशोक नगर सरकण्डा में निवास करता हूँ । मुझे इस बात की

जानकारी नहीं है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में मेरा पता रतनपुर उल्लेखित है ।

17. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा शपथ पत्र की कंडिका क्र० 04 में उल्लेखित कथन है कि गन्नूराव को व्यवस्था हेतु वर्ष 1973 में अपनी वादभूमि को दिया था । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा गन्नू राव को वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया हूँ । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रतिवादी क्र. 04 संतोष राव का इस वाद भूमि से कोई लेना देना है या नहीं ।

18. मैं वर्ष 1968 में लगभग 8–10 वर्ष का रहा रहूंगा । यह कहना गलत है कि वाद पत्र के साथ संलग्न **प्रदर्श डी 01** को दिखाकर साक्षी को पूछे जाने पर बिक्रीनामा लिखा अस्वीकार किया । साक्षी स्वतः कहा कि यदि उक्त दस्तावेज की लिखा पढी होती तो बिक्री मेरे समक्ष मेरे द्वारा किया जाता । जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई थी उस समय मेरी उम्र 18–19 साल रही होगी । मेरे पिताजी का मानसिक स्थिति ठीक थी ।

19. यह कहना सही है कि प्रदर्श डी 02 का कार्यालय नगर पंचायत से जारी नामांतरण पत्र शरद से पति स्व० बसंत राव शेष का नाम दर्ज है । साक्षी स्वतः कहता है कि मेरे द्वारा नगर पंचायत रतनपुर जाकर पता लगाने से इस बात की जानकारी हुई थी । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उपरोक्त **प्रदर्श डी 01** के दस्तावेज के आधार पर कार्यालय नगर पंचायत रतनपुर द्वारा **प्रदर्श डी 02** नामांतरण प्रमाण पत्र जारी किया था । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में शरद शेष को पक्षकार नहीं बनाया गया है ।

20. यह कहना गलत है कि वादभूमि पर मेरा कब्जा नहीं है । साक्षी स्वतः कहा कि वर्तमान में वादभूमि कुछ हिस्सा खाली है और कुछ हिस्सा पर प्रतिवादी क्र० 04 के द्वारा मकान बनाया गया है, जिस पर वह निवास कर रहा है । वादभूमि को मेरे द्वारा बने मकान को व्यवस्था हेतु दिया था उसी पर प्रतिवादी क्र० 04 के द्वारा मकान बनाया गया है । मेरे द्वारा उपरोक्त मकान को कोरबा जाने पूर्व व्यवस्था हेतु दिया गया था । उक्त व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार से कोई लिखा पढी नहीं हुई थी, केवल मौखिक रुप से दिया गया था ।

21. वादभूमि पर बने मकान पर संतोष प्रतिवादी क्र० 04 कब से निवास कर रहा है, जानकारी नहीं है । साक्षी स्वतः कहा कि मेरे मामा के मृत्यु के पूर्व से निवास कर रहा है या मृत्यु के पश्चात से जानकारी नहीं है । मुझे मेरे मामा की मृत्यु कब हुई है जानकारी नहीं है । मेरे द्वारा मामा को देखरेख करने हेतु वादभूमि को वर्ष 1973 में दिया गया था । गन्नूराव मेरा सगा मामा नहीं था । यह कहना सही है कि वादभूमि पर मेरे द्वारा व्यवस्था में दिये जाने के पूर्व से मकान बना हुआ था । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा व्यवस्था में दिये जाने के पूर्व मकान नहीं था इस कारण मैं यह नहीं बता सकता कि संतोष शेष कब से निवास करता है ।

22. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वर्तमान राजस्व परिपत्र में शासकीय भूमि के रुप में दर्ज है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि शासकीय भूमि पर वाद प्रस्तुत करने के पूर्व उसे नोटिस दिया जाता है अथवा नहीं । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि खसरा नं० 3773/1 को

आबादी भूमि को सेवक राम के द्वारा गणेश राव को विक्रय किया गया है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विक्रय पत्र के आधार पर गणेश राव की पुत्री शरद शेष का हक एवं अधिकार है । साक्षी स्वतः कहा कि गन्नू के दो पुत्री एवं एक पुत्र है । मुझे गन्नू राम के पुत्रियों का नाम की जानकारी है । एक पुत्री का नाम शरद और दूसरी पुत्री का नाम रितु था और उसके पुत्र का नाम विश्वनाथ राव था । विश्वनाथ राव का फौत हो चुका है ।

23. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा वाद पत्र में गन्नू राव के वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । यह कहना गलत है कि दिनांक 09.06.1967 से शरद शेष के नाम पर विक्रय भूमि दर्ज चला आ रहा है । यह कहना गलत है कि वादभूमि का टेक्स शरद शेष द्वारा पटाया जा रहा है । साक्षी स्वतः कहता है कि दो वर्ष पूर्व वादभूमि के संबंध में नगर पंचायत रतनपुर टेक्स पटाये जाने पर पता चला कि शरद शेष के द्वारा टेक्स पटाया गया है । यह कहना सही है कि वादभूमि का आज तक टेक्स अदा नहीं किया है । साक्षी स्वतः कहता है क वादभूमि का टेक्स मेरे पिताजी के द्वारा पटाया जाता है ।

24. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गणेश राम के मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी पार्वती बाई के द्वारा भी वादभूमि का टेक्स पटाया गया है । यह कहना सही है कि संतोष शेष इस प्रकरण में हितधारी पक्षकार है । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रतिवादी क्र० 04 संतोष शेष के द्वारा न ही वादभूमि को क्रय किया गया है न ही वादभूमि का टेक्स अदा किया जा रहा है तो वह हितधारी पक्षकार है अथवा नहीं ।

25. यह कहना सही है कि उपरोक्त व्यवस्था पत्र के आधार पर वादभूमि पर कब्जा से संबंधित मेरे द्वारा न ही राजस्व विभाग, कलेक्टर और न ही किसी भी थाने में शिकायत किया है । साक्षी स्वतः कहता है कि मैं वादभूमि पर आकर देखकर चला जाता था । मैं एक भाई एवं मेरी दो बहने है ।

टीप–प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण हेतु समय दिये जाने का मौखिक निवेदन किया गया, विचार बाद निवेदन स्वीकार कर प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया ।

वांचित, सत्य व स्वीकृत।

सही/–
(श्रीमती केवरा राजपूत)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी
कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित ।

सही/–
(श्रीमती केवरा राजपूत)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी
कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

गवाह का हस्ताक्षर